

प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 06.05.2025

जमीन बैनामा कराने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रुपये लेकर धोखाधड़ी का अपराध कारित करने वाले गिरोह के 03 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष एम्स द्वारा गैंग लीडर 1. रामलाल पासवान पुत्र जवाहिर पासवान निवासी मोहल्ला लालगंज थाना एम्स जनपद गोरखपुर उम्र-65 वर्ष 2. जगदीश यादव पुत्र माता बदल यादव निवासी मोहल्ला नन्दानगर दरगहिया थाना एम्स जनपद गोरखपुर उम्र-63 वर्ष 3. आशा देवी पत्नी जगदीश यादव निवासी नन्दानगर दरगहिया थाना एम्स जनपद गोरखपुर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर रामलाल पासवान उपरोक्त स्वयं अपने गिरोह के 02 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से संगठित गिरोह बनाकर जमीन दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रुपये लेकर धोखाधड़ी जैसे जघन्य अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त है। जिसके कारण इनको स्वतन्त्र विचरण करने से रोकने एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर रामलाल पासवान व गिरोह के 02 अन्य सदस्य 1. जगदीश यादव 2. आशा देवी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 143/2025 धारा 2(ख),(I),(XI),/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

अपराध का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा महादेव झारखंडी टुकड़ा न0-3 तप्पा व परगना हवेली तहसील सदर गोरखपुर में सक्षम प्राधिकारी सीलिंग के न्यायालय में बाद विचाराधीन होने तथा माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर महोदय गोरखपुर के न्यायालय से क्रय,विक्रय,नामान्तरण एवं निर्माण पर रोक के बावजूद भी जमीन विक्रय कर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन विक्रय करके कब्जा दिलाकर निर्माण कराया जा रहा था जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-10/2025 धारा-419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 143/2025 धारा 2(ख),(I),(XI),/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना एम्स पंजीकृत किया गया।

अपराधियों का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

1. रामलाल पासवान पुत्र जवाहिर पासवान निवासी मोहल्ला लालगंज थाना एम्स जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 754/2021 धारा 120बी/419/420/465/467/468/471/474/ भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 1984 थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 911/2018 धारा 120बी/419/420/467/468/471 भादवि थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 884/2008 धारा 406/419/420 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

4. मु0अ0स0 1017/2010 धारा 419/420 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0-08/2025 धारा-419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर
6. मु0अ0स0-10/2025 धारा-419/420/467/468/471 भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर

2. जगदीश यादव पुत्र मातबदल यादव निवासी नन्दानगर दरगहिया थाना एम्स जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0-08/2025 धारा-419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0स0-10/2025 धारा-419/420/467/468/471 भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0स0 754/2021 धारा 120बी/419/420/465/467/468/471/474/ भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 1984 थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0स0-275/2007 धारा-147/148/149/307/352/427/504/506 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0स0-259/2011 धारा-3(1)(x) एससीएसटी एक्ट व 120बी/419/420/467/468/471 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
6. मु0अ0स0-7714/2008 धारा-323/324/504/506 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0स0-489/2012 धारा-447/506 भादवि थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर

3. आशा देवी पत्नी जगदीश यादव निवासी नन्दानगर दरगहिया थाना एम्स जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0-08/2025 धारा-419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0स0-10/2025 धारा-419/420/467/468/471 भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0स0 754/2021 धारा 120बी/419/420/465/467/468/471/474/ भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 1984 थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0स0-911/2018 धारा-120बी/419/420/467/468/471 भादवि थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर